अनुदान संख्या 76 – योजना मंत्रालय
GRANT No. 76 - MINISTRY OF PLANNING

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	649,22,00				
				769,24,00	749,01,38	-20,22,62
पूरक	Supplementary	120,02,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					14,94,18
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			78,00	28,19	-49,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2022.62 लाख) सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹12002.00 लाख के पूरक अनुदानों का 17 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2022.62 lakhs) constituted 17 percent of the supplementary grants of ₹12002.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major head "3451"				
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	7922.00			
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-400.07	7522.93	7328.80	-194.13

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3475”	Major Head “3475”				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services				
मू.	O.	57000.00			
पू.	S.	12001.00			
पु.	R.	-1094.11	67906.89	67572.58	-334.31

(I) मुख्य शीर्ष “3475” – “अन्य व्यय – बीई 2014–15 से (एसओपीएस, ईपीपी (आईसी), आर एडं एस, पीएफएआर, यूएनडीपी – एचडीबीआई, यूएनडीपी – एससीडीपी) चालू कार्यक्रम और देयताएं सहित स्कीमें” – ₹24700.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹8700.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹33400.00 लाख कर दिया गया था, जो, तथापि, पहली दो तिमाहियों के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने, सेमिनारों और सम्मेलनों का कम आयोजन होने, रिपोर्टों/दस्तावेजों की प्रिंटिंग कम होने, कोविड–19 महामारी की वजह से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण ₹2462.93 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under Major Head “3475” - “Other Expenditure - Ongoing Programme and Schemes including Liabilities from BE 2014-15 [SOPS, EPP(IC), R&S, PFAR, UNDP - HDBI, UNDP - SCDP]” - the original provision of ₹24700.00 lakhs was augmented to ₹33400.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹8700.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2462.93 lakhs due to restriction on expenditure by the Ministry of Finance during the first two quarters, holding of less seminars and conferences, less printing of reports /documents and slow progress of works by Central Public Works Department owing to COVID-19 pandemic.

(II) मुख्य शीर्ष “3451” – “नीति आयोग – मुख्यालय” – ₹750.88 लाख की बचत (₹7402.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कोविड–19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने, कम संख्या में चिकित्सा दावों के प्राप्त होने और पहली दो तिमाही के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “3451” - “NITI Aayog - Headquarters” - saving of ₹750.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7402.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken owing to Covid-19 pandemic, receipt of less medical claims and restriction on expenditure during the first two quarters by the Ministry of Finance.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1054.50 लाख) प्रयुक्त हो गईं; जैसाकि मुख्य शीर्ष “3475” – “अन्य व्यय – अन्य सम्बद्ध

2.(I) The above savings were partly (₹1054.50 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while

कार्यालय स्वायत्त निकाय" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1043.59 लाख था।

obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "3475" - "Other Expenditure - Other Attached Offices Autonomous Bodies". Actual excess, however, was ₹1043.59 lakhs.